न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 31/2023

प्रार्थी

श्री सकाराम पुत्र रामाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– देलदर, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, प्रार्थी (निगरानीकार) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 29 जुलाई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांकःग्रा.पं./2022–23/569 दिनांक 11–5–2023 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की दिनांक 22–7–2025 को बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी गांव देलदर का स्थायी निवासी हैं, तथा अपने पुरखों के समय से गांव देलदर में निवास कर रहा हैं। प्रार्थी का स्थायी निवास गांव देलदर, ग्राम पंचायत मण्डवारिया के हल्का में आता हैं। गांव देलदर, तहसील व जिला सिरोही, में गांव के आबादी क्षेत्र में पानी की टंकी क्षेत्र के पास प्रार्थी व अन्य गांव के काफी व्यक्तियों के आबादी रहवासी मकान आए हुए हैं, जिसमें से प्रार्थी का भी पुश्तैनी कब्जा भोगवटा का आवासीय पक्का मकान आया हुआ हैं. जिसमें प्रार्थी अपने बाप–दादाओं के समय से निवास करता आ रहा हैं। प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर उसके बाप दादाओं के समय से अर्थात् करीब 60–70 सालों से ही अनवरत बिना किसी रोक–टोक के आम–जन, अप्रार्थी एवं तमाम व्यक्तियों की जानकारी में कब्जा एवं निवास चला आ रहा हैं, जिस भूमि पर प्रार्थी के बाप–दादाओं द्वारा पूर्व में बरसों पूर्व केलूपोश मकान बनाया था, एव तत्पश्चात् जहां पर प्रार्थी के पिता द्वारा पक्का मकान बना हुआ है। उक्त पुश्तैनी मकान गांव देलदर के आबादी क्षेत्र में आया हुआ है, तथा जहां पर गांव के काफी व्यक्तियों के पक्के व कच्चे मकानात आए हुए हैं। प्रार्थी के उपरोक्त मकान पर प्रार्थी का कब्जा व निवास कदीम से ही अनवरत् बेरोक–टोक के अप्रार्थी एवं सर्वजन की जानकारी में आया हुआ हैं। उपरोक्त मकान में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से अनापत्ति लेकर बिजली एवं पानी के कनेक्शन भी लिये हुए हैं, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौके की स्थिति से स्पष्ट हैं। प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जा–भोगवटे के उपरोक्त कदीमी एवं पुश्तैनी मकान एवं कब्जाशुदा भूमि कुल करीब 8000 वर्गफीट नाप की, जिसके चतुर्दशी में उत्तर दिशा में थानाराम मेघवाल का मकान व भूमि, दक्षिण में आम रास्ता व दरवाजा, पूरब रास्ता, पश्चिम में सुथारों की राजस्व भूमि व कुंआ है। प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जा भोगवटा एवं स्वामित्व की उक्त वर्णित भूमि व मकान एवं उपरोक्त मकान के अडौस–पडौस के मकानात के पास पानी की टंकी से संदीप सूर्याल के मकान तक प्रार्थी के मकान के पास श्री छोगाजी पुत्र जैसाजी

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मेघवाल द्वारा सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर रातों—रात गलत रूप से कांटों की बाड़ बनाकर अवैध अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसकी प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत मण्ड़वारिया के सरपंच को शिकायत करने पर उक्त व्यक्ति सरपंच के हितबद्ध व्यक्ति होने से उपरोक्त शिकायत वापस लेने के लिये दबाव बनाने के लिये अप्रार्थी सरपंच द्वारा बिना कोई मौका देखे, बिना कोइ नाप—जोख किये, बिना किसी वैध प्रस्ताव व बिना किसी अधिकार के प्रार्थी के पुश्तैनी मकान को अतिक्रमण बताकर दिनांक 25—5—2023 से पूर्व हटाने का निर्देश नोटिस दिनांक 11—5—2023 में अंकित कर नोटिस जारी कर दिया। उक्त नोटिस व आदेश जारी किये जाने से पूर्व न तो कोई मौका देखा गया, न कोइ नाप—जोख या सीमाज्ञान किया गया, न ही प्रार्थी को किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया, न ही ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा उक्त भूमि ग्राम पंचायत मण्ड़वारिया की होना क्लेम किया गया हैं। ग्राम पंचायत मण्ड़वारिया द्वारा केवल प्रार्थी पर दबाव बनाने की बदनियति से बिना किसी आधार के उपरोक्त आलोच्य आदेश पूर्ववर्ति तारीख 11.05.2023 अंकित कर जारी किया गया हैं, जो गलत, अधिकारातीत व विधिविरूद्ध होकर प्रारंभतः शुन्य हैं एवं उक्त आदेश की आड़ लेकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत प्रार्थी के मकान में अवैध रूप से प्रवेश कर उसका पक्का मकान ध्वस्त कर प्रार्थी व उसके परिवार को बर्बाद एवं बेघरबार करने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा प्रार्थी को जारी नोटिस क्रमांकःग्रा.पं. / 2022—23 / 569 दिनांक 11—5—2023 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा प्रार्थी सकाराम पुत्र रामाजी मेघवाल, निवासी— देलदर के विरुद्ध नोटिस क्रमांकःग्रा.पं. / 2022—23 / 569 दिनांक 11—5—2023 को जारी कर प्रार्थी द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की एवं ओरण भूमि में आवास एवं अन्य संरचनाए निर्मित कर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु सूचित किया गया है, अन्यथा पंचायत द्वारा हटा दिया जायेगा।

प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी का कब्जा ओरण भूमि व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की भूमि पर नही होकर स्वयं की पुराने कब्जे की पुश्तैनी आबादी में हो। जबकि प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, सिरोही से मौके की रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार, सिरोही ने पत्र क्रमांकःतहसील / 25 / 565 दिनांक 01—7—2025 से प्रेषित रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि "प्रार्थी सका राम पुत्र रामाजी मेघवाल, निवासी— देलदर, तहसील— सिरोही द्वारा ओरण भूमि खसरा संख्या 461 एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की भूमि खरा संख्या 461 / 585 पर अतिक्रमण कर घर बनाया है।" इस प्रकार, तहसीलदार, सिरोही की उक्त रिपोर्ट से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी निगरानीकार द्वारा ओरण भूमि व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर आवास निर्माण किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।निर्णय आज दिनांक 29 जुलाई, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *